न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
रा.प्रा.पत्र संख्या 07/2019

प्रार्थीनी :–
फुली पुत्री रामनाथ जाति
निवासी घासलो की ढाणी भैरून्दा तहसील रियांबड़ी
वाद 87/12 में प्रतिवादी संख्या 6)

अप्रार्थीगण :–
शोभादेवी पुत्री जसाराम जाति जाझट निवासी घासलो की ढाणी भैरून्दा
वाद 87/12 में वादी)
जसाराम पुत्र धारूराम जाति फौत के का.मु.
1–रामप्यारी पत्नी स्व.जसाराम जाति जाट
मतादेवी पुत्री जसाराम जाति जाट
राराम पुत्र रामनाथ जाति जाट
नाराम पुत्र रामनाथ जाति जाट
सकुड़ी पत्नी रामनाथ जाति जाट
मेश्वरी पुत्री रामनाथ जाति जाट
ंकरराम पुत्र धारूराम जाति जाट
माराम पुत्र धारूराम जाति जाट
कमलादेवी पत्नी शंकरराम जाति जाट
निवासीगण घासलो की ढाणी भैरून्दा तहसील रियांबड़ी
-तहसीलदार रियांबड़ी
-पटवारी हल्का भैरून्दा
-उप पंजियक भैरून्दा
-प्रतापराम पुत्र भागीरथ जाट निवासी भैरून्दा
-पुनाराम पुत्र शिवबक्ष
-परसाराम पुत्र शिवबक्ष
-रूकमणी पत्नी शिवबक्ष
-पतुदेवी उर्फ पतासी पुत्री शिवबक्ष
मुनीदेवी पुत्री शिवबक्ष
-सीमीदेवी पुत्री शिवबक्ष
- दुर्गादेवी पुत्री शिवबक्ष
ी जातियान जाट निवासीगण घासलो की ढाणी भैरून्दा तहसील रियांड़ी जिला नागौर।

ील प्रार्थी :–श्री घनश्याम खालिया
ील अप्रार्थी संख्या 14 से 20– श्री अर्जुनपुरी गौस्वामी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 05/4/24

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि :–

–यह है कि प्रार्थीया मात्र साक्षर है तथा ज्यादा पढी लिखी नहीं हैतथा अप्रार्थी संख्या 1 शोभादेवी त्री जसाराम द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये हस्तगत वाद संख्या 87/12 का नोटिस ाने पर प्रार्थीया(प्रतिवादी संख्या 6) के भाई उक्त वाद के प्रतिवादीगण संख्या 3,4,5 व 7 के स्ताक्षरो के शामिल खाली कागज व वकालतनामा पर हस्ताक्षर करवा कर प्रार्थीया को पूर्ण ज्ञान व जानकारी दिये बिना प्रतिवादी संख्या 8 शंकरराम के अनुचित दबाव व प्रभाव में आकर वकील को ूर्ण जानकारी दिये बिना उतरवाद पेश करवा दिया गया। जिसकी जानकारी हाल ही में दिनांक 8. 11.17 को प्रार्थीया को हुई है। उक्त उतरवाद जो अन्य प्रतिवादीगण के शामिल पेश किया गया है

धिकारी रियांब

पूर्ण रू स `प्रार्थीया के हितो के विपरीत है। प्रार्थीया के साथ छल व कपट कर पेश किया या। जो प्रार्थीया के हक अधिकार व वर्तमान विधि के विपरीत अभिवचन दर्ज कर पेश किया गया। सको संशोधित किया जाकर संषोधन की ईजाजत प्राप्त कर संशोधित उतरवाद के साथ अपने अधिकारो की रक्षार्थ काउण्टर क्लेम भी प्रार्थीया ने ठोस आधारो पर माननीय न्यायालय हाजा पेश किया है। साथ ही आवश्यक पक्षकार बनाने हेतू भी प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। जो र्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है। व काउण्टर क्लेम की डिकी किये जाने की पूरी पूरी आशा है।

यह है कि चूकि दीगर अप्रार्थीगण विवादित भूमियों को खुर्द बुर्द करने बेचान करने पर आमादा है। जिनको अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

यह है कि प्रार्थीया उसके पूर्वज धारूराम व भागीरथ सभी हिन्दु धर्मके अनुयायी व मतवलम्बी रहे है। जो विधिनुसार हिन्दु विधि के उतराधिकारी प्रावधान से गर्वन होते है।

वादगस्त आराजी प्रार्थीया के पूर्वज स्व.धारूराम पुत्र धन्नाराम के कब्जे काश्त व खातेदारी के खेत रहते आये थे,राजस्व रेकार्ड साथ में पेश है। वादग्रस्त खसरान के आलवा अन्य खसरान भी स्व.धारूराम की सहखातेदारी के होते हुए इनकी खतौनी में अकेले भागीरथ का नाम गलत दर्ज हुआ है व भागीरथ के मरने के बाद शिवबक्ष व प्रतापराम पिसरान भागीरथ का नाम गलत दर्ज हुआ है। लेकिन वादग्रस्त खसरान में 82 बीघा 5 बिसवा अकेले धारूराम की व शेष खसरान में आधा भाग घारूराम का था व धारूराम के देहान्त होने पर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत उसके चार पुत्रो जसाराम,स्व.रामनाथ, शंकरराम,नेमाराम हुए। इन चार पुत्रो ने शिवबक्ष व प्रतापराम से मिलकर उक्त भूमि में धारूराम के पौत्र व पौत्रियों का जन्म से सहखातेदारी व सहदायिक होते हुए भी धारा 54 के तहत बंटवारा के पूर्व पोत्र व पोत्रियो को पक्षकार दर्ज करवाकर दिनांक 30.8.2011 को बंटवारे की डिकी पारित करवा ली। और नामान्तकरण दर्ज करवा लिया गया। वादग्रस्त आराजी में 1/20 भाग की हक खातेदारी मुझ प्रार्थीया की घोषित कर बंटवारा बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस करने हेतू प्रतिदावा पेश किया है।

5–यह है कि यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या 1 शोभादेवी ने अपने पिता जसाराम के पुश्तेनी हक खातेदारी के खसरान मेंअपना हिस्सा व खातेदारी को गंभीर खतरा होना दर्ज करतेहुए वाद पेश किया है। वाद संख्या 37/10 की डिकी आधार पर नामान्तकरण का अभिवचन करते हुए अपनेहक खातेदारी हेतू इस्तदुआ चाही है। मुझ प्रार्थीया को भी पक्षकार दर्ज किया व पार्थीया महिला पक्षकार होने से व पिता व भाईयो के दबाव व प्रभाव होने से उनके कहें अनुसार वकालतनामा व कागजो पर हस्ताक्षर करते समय छल कपट से प्रभावित होकर सामूहिक उतरवाद पेश कर दिया जिसकी जानकारी होते हुए ही मुझे प्रार्थीया ने न्यायालय में संशोति उतरवाद व प्रतिदावा पेश किये जाने हेतू प्रार्थना पत्र पेश कर इजाजत प्राप्त कर कार्यवाही की। अप्रार्थीगण बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है। जिससे सुविधा का संतुलन भी ताफैसला काउटर क्लेम विवादित अराजी के मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावें।

वकील प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को जाबाब हेतू नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 14 से 21 की ओर से वकालतनामा व जबाब वकील अर्जुनपुरी गौस्वामी ने पेश किया गया। वकील अप्रार्थी ने अपने जबाब में बताया गया कि पैरा संख्या 1 व 2 का जबाब जबाबदेहिन्दा का कोई संबंध नही है। जबाबदेहिन्दा स्व.भागीरथ जी के उतराधिकारी है। मौजा भैरून्दा में स्थित वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण संख्या 14 से 16 कीसंयुक्त खातेदारी के काश्त व कब्जासुद है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 14 का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 15 से 16 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का काश्त व कब्जासुद है। उक्त जमीन जबाबदेहिन्दा को राजस्व वाद संख्या 37/10 में जरिये डिकी के प्राप्त हुई। जिसके विरूध अपील पेश हुई जो खारिज हुई। अतः इस संबंध में अंतिम डिकी पारित हो चूकी है। इस प्रकार उक्त भूमि अप्रार्थीगण जबाबदेहिन्दा की बंटसुदा खातेदारी की काश्त कब्जासुद है। जिसमें प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 का कोई हक बंट,अधिकार काश्त व कब्जा नहीं है। मगर प्राथीनी ने उक्त वाद व प्रार्थना पत्र में शामिल कर गलत रू से जबाबदेहिन्दा को पक्षकार बनाया गया है। जबकि अप्रार्थीगण जबाबदेहिन्दा वाद में पक्षकार नहीं है। शेष खसरान का प्रार्थीगण से कोई संबंध नही है। प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र काबिज खारिज के है।

मौजा भैरून्दा के खसरा नंबर 2147/960,2148/994,2149/998,2150/1028,2151/897, 2152/961,2153/999,2154/1020,2155/1920, जिसका कुल रकबा 5.600 हैक्टर में प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 को कोई हक व बंट,अधिकार काश्त व कब्जा नहीं है। बल्कि उक्त भूमि

अधिकारी रियांबड़ी
ला–नागौर

जबाबदेहिन्दा की खातेदारी व काश्त कब्जासुदा है। उक्त खसरान के संबंध में राजस्व वाद37/2010 की डिकी पारित होकर अंतिम डिकी की पालना हो चूकी है। मगर प्रार्थीनी ने गलत रूप से अप्रार्थीगण जबाबदेहिन्दा की खातेदारी की भूमि को उक्त प्रार्थना पत्र में शामिल कर अप्रार्थीगण जबाबदेहिन्दा मूल वाद में पक्षकार न होते हुए भी इन्हे प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो काबिल खारिज के है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा हर्जा के खारिज किया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी ने अपनी बहस में बताया गया कि प्रार्थीनी केवल मात्र साक्षर है और उससे वाद संख्या 87/12 में उतरदावा में धोखे रखकर खाली पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिये गये। प्रार्थीनी को बिना बताये व जानकारी दिये बिना प्रतिवादी संख्या 8 के अनुचित दबाब व प्रभाव में आकर वकील द्वारा हस्ताक्षर करवा लिये गये। इसके बाद जानकारी होने पर प्रार्थीनी ने संशोधित उतरदावा व काउन्टर क्लेम वाद में पेश किया गया। अप्रार्थीगण विवादित भूमियो को खुर्द बुर्द करने बेचान हस्तांतरण कर राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीनी के हक व अधिकारो व बंट को लेकर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीया ने उसके पूर्वज धारूराम व भागीरथ की वारिसान है। जो विधि अनुरूप उताराधिकारीगण है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला जारी की जावें।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 14 से 21 के वकील ने अपनी बहस में बताया गया कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण संख्या 14 से 16 की संयुक्त खातेदारी की है जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 14 का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थीगण संख्या 15 व 16 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का काश्त सुदा है। अप्रार्थीगण को पूर्व में वाद संख्या 37/2010 में वादग्रस्त भूमि डिकी के द्वारा हासिल हुई है उक्त वाद की प्रार्थीनी ने अपील भी पेश की गई। परंतु खारिज की गई। जिससे जाहिर है कि प्रार्थीनी का कोई हक हिस्सा नहीं है। प्रार्थीनी उक्त वाद में जबाबदेहिन्दा को उक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया। अब प्रार्थीनी ने इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की है। जो काबिज खारिज है। वादग्रस्त आराजी जबाबदेहिन्दा की बंटसुदा खातेदारी की काश्त व कब्जासुदा है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा प्रार्थीनी की अपील आंशिक स्वीकार कर वाद संख्या 37/10 निर्णय दिनांक 30.8.2011 में प्रतिवादी जसाराम,रामनाथ, शंकरराम,नेमाराम पिसरान धारूराम की हद तक अपास्त किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन से पाया गया कि प्रतिवादी जसाराम, रामनाथ,शंकरराम,नेमाराम पिसरान धारूराम के नाम वादग्रस्त आराजी खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के संबंध में पूर्व वाद 37/10 दर्ज होकर निर्णित हुआ था। जिसमें डिकी पारित हुई। जिसमें अप्रार्थीगण उक्त जसाराम ,रामनाथ,शंकरराम,नेमाराम पिसरान धारूराम के हद तक अपील निरस्त की गई। तथा विचाराधीन वाद संख्या 87/12 शोभादेवी बनाम जसाराम के साथ समेंकित किये जाने के निर्देश दिये गये है। और साक्ष्य सबूत जबाब व सुनवाई लेकर विधिवत् पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये है। अतः राजस्व वाद 87/12 जैरकार है।

प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थनी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में मजबूत है क्योंकि वह रेकार्डेड खातेदार है। सुवधिा का संतुलन भी अप्रार्थीगणो के पक्ष में है क्योंकि उनका काश्त व कब्जा है और काश्त कब्जा की भूमि से बेदखल करने पर अपूर्णीनीय क्षति भी अप्रार्थीगणो को कारित होगी। अतः प्रार्थनी का प्रार्थना 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खारिज किया जाता है तथा पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 09.01.2019 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05/4/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
रियांबड़ी